मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, भोपाल

क. एफ 11–104/2020/सूअप्र/1–9/541 भोपाल, दिनांक 19/10/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषयः– माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश के परिपालन के संबंध में।
संदर्भः– द्वितीय अपील कमांक – 2535 / SIC /भोपाल /2018 /10503, दिनांक 13/08/2020

---000---

संदर्भित विषयांतर्गत माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 06.08.2020 का अवलोकन करना चाहेंगे।

2/ माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, म.प्र. द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2020 में दिए गए निर्देशानुसार अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र और प्रथम अपील का निराकरण नियत समयावधि में करने हेतु समस्त लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाये, कि माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार समस्त आवेदन पत्रों/अपील प्रकरणों का निराकरण नियत समयावधि में करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार,

19/X/2020
(मधु नाहर)
उप सचिव
मंध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशसन विभाग (सूअप्र)

Joshiji
for uploading pl
21/10/2020

निरंतर...2

पृ.क्र.एफ 11–104/2020/सूअप्र/1–9/542 भोपाल, दिनांक 19/10/2020

प्रतिलिपी:–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल,
8. मंत्री/राज्यमंत्री गण, के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, मध्य प्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ इन्दौर/ग्वालियर,
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
14. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख्य सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
15. मुख्य सचिव, के सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, 35–बी, अरेरा हिल्स, भोपाल
17. आयुक्त, जन सम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल,
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,
20. अवर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल,की ओर प्रेषित है। कृपया सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

14/X/2020

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशसनविभाग (सूअप्र)

(स्पीडपोस्ट से) - 35

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

द्वितीय अपील कमांक-2535/SIC/भोपाल /2018 10503 भोपाल, दिनांक 13/08/2020

प्रति,

1 लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप, लिंक रोड-2,
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)।

2 सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर,
तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप, लिंक रोड-2,
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)।

3 प्रथम अपीलीय अधिकारी,
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप, लिंक रोड-2,
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)।

4 श्री श्रीकांत देशमुख,
सम् लोक सूचना अधिकारी,
अधीक्षण यंत्री
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप, लिंक रोड-2,
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)।

5 लोक प्राधिकारी,
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप, लिंक रोड-2,
शिवाजी नगर,भोपाल (म.प्र.)।

6 अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,म.प्र.।

7 अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उर्जा विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल,म.प्र.।

8 प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम,
उर्जा भवन, 05 नं. स्टॉप,
लिंक रोड-2, शिवाजी नगर,
भोपाल (म.प्र.)।

9 श्री शिवाकान्त शुक्ला *(अपीलार्थी)*,
जी-18, सांची कॉम्पलेक्स,
शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.)।

विषय : मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश का प्रेषण।

उपरोक्त द्वितीय अपील प्रकरण में मा. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश **दिनांक 06 अगस्त 2020 की प्रति संलग्न** प्रेषित है।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

13/08/2020
(पराग करकरे)
अवर सचिव
राज्य सूचना आयोग

D:\BHPL\Bhopal\Ane\Parit order.docx(6)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

अपील प्रकरण कमांक ए–2535 / एसआईसी / भोपाल / 2018

पीठासीन : ए. के. शुक्ला , राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

श्री शिवाकान्त शुक्ला
जी–18 सांची काम्पलेक्स
शिवाजी नगर, भोपाल
भोपाल

अपीलार्थी

विरूद्ध

1. श्री कांत देशमुख
   सम् लोक सूचना अधिकारी– अधीक्षण यंत्री
   मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम
   भोपाल

2. सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर
   तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी
   मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम
   भोपाल

प्रत्यर्थीगण

आदेश

(दिनांक 06 अगस्त 2020 को पारित)

1. इस आदेश व्दारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (एतद् पश्चात् संक्षेप में "अधिनियम 2005") के अन्तर्गत अपीलार्थी के धारा 6 (1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 14 अप्रैल 2018 में वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख के संधारणकर्ता शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं सम् लोक सूचना अधिकारी श्री श्रीकांत देशमुख, अधीक्षण यंत्री, मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम भोपाल एवं लोक सूचना अधिकारी को धारा 20 (1) के तहत शास्ति अधिरापित किये जाने के संबंध में जारी कारण बताओ सूचना पत्र का निराकरण किया जा रहा है।

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने "अधिनियम" के आवेदन दिनांक 09 अप्रैल 2018 के व्दारा निम्न जानकारी चाही गई थी :–

1. अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन परिसर भोपाल में स्थापित रूफटाप सोलर पावर पैक की स्थापना के लिये कार्य आदेश जारी करने की सक्षम स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी करने संबंधी कार्यवाही की नोटशीटों की सत्यापित प्रतियां।
2. अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन परिसर भोपाल में स्थापित रूफटाप सोलर पावरपैक के वर्कआर्डर, निरीक्षण प्रतिवेदन एवं जे.सी.आर. मय सभी संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां।
3. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी RFP कमांक MPUVN/SPVPP-NM/1-500 kWp/2016-17/3135 dated : 11/11/2016 की निविदा सूचना को जारी करने से लेकर प्राप्त दरों की संचालक मंडल की स्वीकृति एवं अनुबंध करने तक की पूरी कार्यवाहियों से संबंधित सभी नोटशीटों की सत्यापित प्रतियां।
4. अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन परिसर, भोपाल में स्थापित रूफटाप सोलर पावर पैक की स्थापना की परियोजना से संबंधित सभी नस्तियों की सत्यापित प्रतियां।

3. सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर, लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.04.2018 को श्री श्रीकांत देशमुख, कक्ष प्रभारी, प्रत्यर्थी कं 1 को प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी कं 1, श्री श्रीकांत देशमुख ने दिनांक 11.05.2018 को लोक सूचना अधिकारी को सूचित किया कि अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, सुशासन भवन परिसर भोपाल से संबंधित बिंदु कमांक 1, 2 एवं 4 की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता नहीं है और आवेदक के एक अन्य आवेदन पत्र कमांक 3135 दिनांक नवम्बर 2016 के समय जानकारी मांगी है जो प्रकिया अंतर्गत है इसलिए बिंदु कमांक 3 से संबंधित जानकारी

06/8/2018

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्यों से अपीलार्थी को पत्र कं 596 दिनांक 08.05.2018 द्वारा लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया गया तब अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 23.05.2018 को प्रस्तुत की जिसका निराकरण दिनांक 29.06.2020 को किया गया और प्रत्यर्थी श्री श्रीकांत देशमुख, अधीक्षण यंत्री को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आदेशित किया गया तथा प्रत्यर्थी कं 1 को आवेदन पत्रों का निराकरण गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ भी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील का निराकरण दिनांक 01 जुलाई 2020 को किया गया और जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के संबंध में "अधिनियम" की धारा 20 (1) के तहत प्रत्यर्थीगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

4. लोक सूचना अधिकारी सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने के दिनांक को ही संबंधित शाखा के प्रभारी प्रत्यर्थी कं 1 को प्रेषित किया गया था और उनके द्वारा जानकारी देने से इंकार किये जाने के संबंध में जो सूचित किया गया था, वह जानकारी अपीलार्थी को अविलम्ब दिनांक 08/11 मई 2018 को प्रेषित कर दी गई थी इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाये।

5. श्री श्रीकांत देशमुख व्दारा कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में यह उल्लेख किया है कि श्री घनश्याम नागले एवं श्री शिवाकांत शुक्ला सूचना के अधिकार से संबंधित कार्यो हेतु एक साथ कार्य करते हैं और श्री शिवाकांत शुक्ला के व्दारा प्रस्तुत किये गये कई आवेदनों में श्री घनश्याम नागले उनसे

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

सम्पर्क स्थापित किया हैं और आयोग में प्रचलित प्रकरण ए–0862/2018 में दिनांक 17 फरवरी 2020 को अपीलार्थी श्री शिवाकांत शुक्ला की ओर से श्री घनश्याम नागले आयोग के समक्ष उपस्थित हुये थे और इस अपील में श्री शिवाकांत शुक्ला व्दारा चाही गई जानकारी पूर्व में श्री घनश्याम नागले को पूर्व में उपलब्ध करा दी गई थी जिसके कारण उसी जानकारी के संबंध में अपीलार्थी श्री शिवाकांत शुक्ला को पुनः उसी जानकारी नही देने के संबंध में मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया था और श्री शिवाकांत शुक्ला व्दारा यह व्यक्त किया था कि यह स्थिति गलती से निर्मित हो गई है । उत्तर में यह भी उल्लेख किया है कि सीमित स्टाफ, कार्य की अधिकता की पृष्ठभूमि में पुनः समान जानकारी को श्री शिवाकांत शुक्ला को उपलब्ध कराने में विलंब हुआ है और प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.06.2020 के पालन में अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये विलंब पर क्षमा करते हुये प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गय है ।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। श्री श्रीकांत देशमुख, प्रत्यर्थी कं 1 एवं सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर, लोक सूचना अधिकारी, प्रत्यर्थी कं 2 को सुना गया।

7. लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये जवाब अभिलेख पर है, उन पर विचार करते हुये और प्रस्तुत किये गये जवाब को और उनके द्वारा समय पर की गई कार्यवाही को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण की समस्त

06/07/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

परिस्थितियों में लोक सूचना अधिकारी सुश्री सुरिन्दर कौर गहिर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है।

8. इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदन में चाही गई जानकारी का संबंध मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम की जिस शाखा से था उसके प्रभारी श्री श्रीकांत देशमुख अधीक्षण यंत्री थे जिनके व्दारा लोक सूचना अधिकारी को श्री शिवाकांत शुक्ला व्दारा आवेदन में वांछित जानकारी से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नही कराये अपितु स्वंय ही आवेदन अमान्य किया गया । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी क 1 श्री श्रीकांत देशमुख को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये हैं।

9. अधिनियम की धारा 20 (1) एवं उसका दूसरा परन्तुक निम्नानुसार है :—

अधिनियम की धारा 20 (1) निम्नानुसार है :—

शास्ति (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकानी ने, किसी यक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये, कोई आवेदन प्राप्त करने से इन्कार किया है, या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिये विर्निदिष्ट समय के भीतर सूचना नही दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इन्कार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वे ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कल रकम पच्चीस हजार से अधिक नही होगी :

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा ।

10. प्रत्यर्थी के द्वारा अपील उत्तर प्रस्तुत किया गया। जवाब को और तर्क के दौरान की गई आपत्ति को प्रत्यर्थी के आदेश दिनांक 11.05.2018 के परिप्रेक्ष्य में ही देखा जा सकता है और जहां प्रत्यर्थी कं 1 द्वारा जहां लिखित आदेश पारित किया है उसके प्रतिकूल अन्य मौखिक तर्क और अन्य तथ्य पर विचार किया जाना विधिसम्मत् नहीं रह जाता है। प्रत्यर्थी कं 1 ने अपने आदेश में बिंदु कमांक 1, 2 एवं 4 की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता नहीं होना ही कहा था और जानकारी दिये जाने से इंकार किया है तथा बिंदु कमांक 3 की जानकीर के संबंध में अपीलार्थी का आवेदन पत्र प्रकियाधीन होना कहा है इसलिए जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होना कहा है। अतः जानकारी दिये जाने से इंकार करने का कोई विधिसम्मत् कारण नहीं बताया गया है जबकि प्रत्यर्थी "अधिनियम" के तहत सम्विधिक अधिकारी नियुक्त नहीं थे परन्तु लोक सूचना अधिकारी, प्रत्यर्थी कं 2 ने उनसे जानकारी चाही है और "अधिनियम" की धारा 5 (5) के तहत सहयोग चाहा है परन्तु प्रत्यर्थी कं 1 ने जानकारी न देते हुये आवेदन पत्र का ही निराकरण कर दियो है इसलिए उनकी स्थिति "अधिनियम" की धारा 5 (5) के तहत सम्विधिक अधिकारी की हो जाती है। उनके द्वारा आदेश पारित किया गया है इसलिए उनसे अपेक्षा थी कि वे "अधिनियम" की धारा 7 (8)(i) के तहत जानकारी अमान्य किये जाने

06/8/2018

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

का कारण लिखते परन्तु बिंदु कमांक 1, 2 एवं 4 की जानकारी नहीं दिये जाने के संबंध में कोई कारण नहीं लिखा गया है। बिंदु कमांक 3 की जानकारी के सबंध में अन्य आवेदन पत्र बांवत् लिखा गया है परन्तु उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई है।

11. इसके अलावा तर्क एवं जवाब में यह कहा गया कि अपीलार्थी के अन्य सहयोगी श्री घनश्याम नागले ने जानकारी प्राप्त कर ली है, इस कारण से उन्हें जानकारी देने से इंकार किया गया परन्तु ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख दिनांक 11.05.2018 के आदेश में नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी के यदि किसी सहयोगी ने कोई जानकारी प्राप्त कर ली है तो उस आधार पर से अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी के सहयोगी श्री घनश्याम नागले ने जानकारी प्राप्त कर ली थी और वह यदि जानकारी नहीं चाहता तो अपीलार्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता और प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं करता और आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं करता, परन्तु उन्होंने यह सब किया है और समस्त कार्यवाहियों में और आयोग में उपस्थित भी हुये हैं और जानकारी दिये जाने की प्रार्थना भी की है। अतः श्री घनश्याम नागले को जानकारी अन्य प्रकरण में दी गई थी इसलिए अपीलार्थी को जानकारी नहीं दी गई, इस संबंध में मौखिक बात-चीत बावत् जो तथ्य कहे गये हैं वे विश्वसनीय नहीं है। इसके अलावा अपीलार्थी को बिंदु कमांक 1, 2 एवं 4 की जानकारी देने से बिना कारण इंकार किया गया और वही जानकारी श्री घनश्याम नागले को प्रदान करना कहा गया, यह तथ्य पूर्णतः विरोधाभाषी एवं विश्वसनीय भी नहीं है। अतः प्रत्यर्थी ने जानकारी नहीं दिये

जाने के संबंध में जो कारण अपने अपील उत्तर में, तर्कों में बताये हैं, वे सभी उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के प्रतिकूल हैं। इसके अलावा श्री श्रीकांत देशमुख, प्रत्यर्थी कं 1 ने "अधिनियम" की धारा 4 के प्रावधान के अंतर्गत विधिसम्मत प्रगटन योग्य जानकारी प्रदान किये जाने से इंकार किया है।

12. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 11.03.2020 को द्वितीय अपील में सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, प्रकरण दिनांक 24.03.2020 को नियत किया गया और लॉकडाउन होने के कारण प्रकरण में सुनवाई नहीं हुई तथा दिनांक 11.06.2020 को पुनः सूचना पत्र जारी किया गया और दिनांक 01.07.2020 सुनवाई हेतु नियत की गई तब प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 29.06.2020 को आदेश पारित कर तीन दिवस में जानकारी उपलब्ध कराये जाने को कहा और अपीलार्थी को जानकारी भी शीघ्र उपलब्ध करा दी गई और आयोग में सुनवाई दिनांक 01.07.2020 को उपस्थित होकर जानकारी दिये जाने बावत् कहा गया परन्तु अपीलार्थी को आवेदन दिनांक से दो वर्षों तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई, यह स्पष्ट है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी के स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुये दो वर्ष के उपरांत जानकारी उपलब्ध कराये जाने से जानकारी की उपयोगिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के जानकारी दिये जाने से इंकार किया गया और इस कारण से जानकारी दिये जाने में दो वर्ष का विलम्ब हुआ है, विलम्ब के लिये बताया गया स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नही है और इसलिए ऐसी परिस्थितियों में जहां कि जानकारी

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

"अधिनियम" के प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि में नहीं दी गई, विलम्ब कारित किया गया है और विलम्ब का कारण व स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तो प्रत्यर्थी पर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। जैसा कि विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों ने निम्न न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं –

(1) RAJESH KUMAR PATEL VS CHIEF INFORMATION COMMISSION THROUGH ITS COMMISSIONER, 2019 0 Supreme(Chh) 861; Civil W.P. 7976/2011 Dated 13 Sep 2019

10. Admittedly, in this case, up till the filing of the second appeal, no information was supplied, however, the information when was supplied i.e. the copy of the cash-book, the petitioner contended that one copy was supplied twice. The commission therefore, on such examining the fact has directed to supply the certified copy of the cash-book. The days rolled by and eventually the final satisfaction arrived on 03.02.2011. Admittedly, there is considerable delay of about 23 months. The statutory requirement under sub-section (1) of Section 20, the legislation has used the word 'shall' for imposing penalty. However, the outer limit has been fixed of Rs.25000/-. In this case since the delay has been caused of about 23 months, as a result, the respondents No.2 & 3 would be required to pay penalty of Rs.25000/-, which may be imposed under sub-section (1) of Section 20 of the Act,2005. In a result, it is directed that since the information was not provided as per the requirement of the statute, the respondent No.3 would be required to pay an amount of Rs.25000/- which shall be deposited with the treasury within a period of three months from the date of receipt of copy of this order.

(2) Ramesh Sharma VS State Information Commission, Haryana, 2008 0 AIR(P&H) 126, 2008 0 Supreme(P&H) 374; Civil Writ Petition No. 1924/2008 Dated 08 Feb 2008

5. A plain reading of sub-section (1) of Section 20 of the Act makes it obvious that the Commission could impose the penalty for the simple reasons of delay in furnishing the information within the period specified by sub-section (1) of Section 7 of the Act. According to sub-section (1) of Section 7 of the Act, a period of 30 days has been provided for furnishing of Information. If the information is not furnished within the time specified by sub-section (1) of Section 7 of the Act then under sub-section (1) of Section 20 of the Act, public authorities failing in furnishing the requisite information could be penalised. It is true that in cases of intentional delay, the same provision could be invoked but in cases where there is simple delay the Commission has been clothed with adequate power. Therefore, the first argument that the penalty under sub-section (1) of Section 20 of the Act could be imposed, only in cases where there is repeated failure to furnish the

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

Information and that too without any reasonable cause, is liable to be rejected. The Commission is empowered under sub-section (2) of Section 20 of the Act to recommend disciplinary action against such State/Central Public Information Officer under the Service Rules applicable to such officers. However, the present is not the case of that nature because the Commission has not been invoked under sub-section (2) of Section 20 of the Act. Hence, the argument raised is wholly misconceived and is hereby rejected

(3) MODH RAFIQUE ANSARI VS DAMODAR VALLEY CORPORATION, 2012 190 DLT 307; 2012 0 Supreme(Del) 1030; LPA 288/2011 Dated 17 Apr 2012

7. Coming to the appeal filed by DVC against the imposition of penalty of Rs. 25,000/-, perusal of order dated 22.8.2008 would show that the CIC was mainly influenced by the fact that there had been inordinate delay in furnishing the information. In paras 10 and 11 of the impugned order, the CIC recorded as under:

"10. From the records, it further appears that the first response to the request under the RTI Act was sent by the PIO vide his letter dated May 22, 2008. The department has duly acknowledged the receipt of the RTI application dated 15.1.2008 and also the first appeal dated 20.2.2008. The PIO, apart from intimating the applicant on 25.1.2008 that the matter is under process, did not provide any information to the applicant. The Public Authority has also acknowledged the receipt of the first appeal dated 20.2.2008 on 27.2.2008. The response to this appeal petition was given after about a month on 26.3.2008 asking the appellant to submit copies of some document but no information perse was provided till May 22, 2008. Thus, the response was given after four months and as such there is inordinate delay of over four months.

11. Under the circumstances, since there is an unexplained delay of over 100 days, and that without furnishing the required information in a truthful manner, the PIO is liable to pay a maximum penalty of Rs.25,000/- u/s 20(1) of the Act."

8. No doubt, in para 20, while summing up the position, the CIC has stated that CPIO had given contradictory and misleading information and, therefore, is liable to pay the maximum penalty of 25,000/-. The counsel for DVC on the basis thereof argues that the penalty is imposed on grounds other than for which show cause notice was given. However, perusal of paras 10 and 11 would show that the penalty was mainly imposed because of delay in furnishing the information. This penalty imposed by the CIC has been upheld by the learned Single Judge. When we find the discretionary powers exercised by the CIC are affirmed by the learned Single Judge also, we do not see any reason to interfere with such a direction, particularly having regard to the fact that the applicant is a disabled person who has been waiting for suitable consideration for the last three years. However, having regard to the facts and circumstances of the case, we are of the opinion that this penalty be not recovered from the PIO of DVC and DVC shall pay this amount. 22. It is also pertinent to note that the three conditions mentioned in

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

Section 2(h)(d)(i) of the RTI Act are distinct and not cumulative, therefore, even if one of the three is satisfied as per the facts of the case, it would be sufficient and there is no need for all three to be satisfied. The same was held by the Hon'ble Delhi High Court in National

13. शास्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग 2018 (1) Supreme (chh) 624 WP 1405/2017 आदेश दिनांक 18/5/2018 के न्याय दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्याय दृष्टांतों को अनुसरण करते हुये यह प्रतिपादित किया है कि शास्ति अधिरोपित किया जाना आयोग का विवेकाधिकार है और दोषी लोक सूचना अधिकारी और विलंब के संबंध में निश्चात्मक समाधानकारी कारण नही बताये जाते हैं और तत्परता से कार्यवाही नही की जाती है तो ऐसे मामलों में शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिये ।

14. इसके अलावा B B Dash Vs. Central Information Commission and other 2017 (0) Supreme Del 234 WP (C) 624/2014 निर्णय दिनांक 24 जनवरी 2017 के न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि :–

7. Taking into account the totality of the facts placed before us, the inescapable conclusion is that Dr. B. B. Dash, CPIO failed to provide the information without any cogent reason. The nature of his replies, to various queries in his letter dated 28.9.2015 shows that these were meant to circumvent the queries raised by the Complainant in her application. All this is a pointer to wilful denial of information. Therefore, in our view, this is a fit case for imposition of the maximum penalty of Rs. 25,000/- on Dr. B. B. Dash, CPIO under Section 20 (1) Of the RTI Act. ----------

06/8/2020

15. श्री श्रीकांत देशमुख व्दारा ऐसा कोई तर्क या प्रमाण पेश नही किया जिससे यह माना जा सके कि अपीलार्थी को जानकारी प्रदान करने का कोई प्रयास युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक ही किया गया । श्री श्रीकांत देशमुख, सम् लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में उनका (Lackaddiscial attitude) शिथिलतापूर्वक रवैया/प्रवृत्ति को दर्शाता है जबकि " अधिनियम " के प्रावधान युक्तियुक्त तत्परतापूर्वक कार्य की अपेक्षा करता है । लोक सूचना अधिकारी श्री श्रीकांत देशमुख ने अपीलार्थी को वांछित जानकारी नियत अवधि में प्रदान की और निर्धारित समयावधि में जानकारी प्रदान नही किये जाने के संबंध में जो कारण बताये है वे स्वीकार किये जाने योग्य नही है और "अधिनियम" की धारा 20 के उपरोक्त उल्लेखित परन्तुक में वर्णित प्रमाण भार उन्मोदित नहीं कर सके।

16. इसके अलावा अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदान कर दी गई थी। अपीलार्थी को जानकारी प्रदान कर दी गई है, इस आधार पर से प्रत्यर्थी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती, इस संबंध में प्रत्यर्थी का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Bisheswar Ram son of late Doman Ram VS State of Jharkhand, through Secretary, Department of Mines and Geology, Nepal House, P. O. and P. S. Doranda, District Ranchi, 2019 0 Supreme(Jhk) 373 आदेश दिनांक 02 जुलाई 2019 के प्रकरण में निम्न न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं –

12. Question of enactment of the provision as contained under Section 20 of the Right to Information Act, 2005 clearly clarifies the position about the mandatory nature of the provision of the Act so that if any application would be filed by any information seeker, the time schedule as provided either under Section 7 or under

06/8/2020

Section 19 which contains provision of first and second appeal, the same is to be provided within the stipulated time and to make this time schedule strictly to be complied with, the provision of penalty has been made.

If the contention of the petitioner to the effect that when the information has been furnished, there was no occasion to impose penalty, if the same would be allowed, the same will come in the teeth of the provision of Sections 19 & 20 of the Right to Information Act and if any relaxation would be granted by the Court, ultimately object and intent of the Act will suffer.

17. इसके अलावा अश्विनी कुमार लोहानी विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग 2018 (0) Supreme U K 122/ WP No. 1367/2012 निर्णय दिनांक 3 अप्रैल 2018 जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अधिरोपित शास्ति व्यक्तिगत होगी।

18. प्रकरण की परिस्थितियों में उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी श्री श्रीकांत देशमुख पर शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित है।

19. अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री श्रीकांत देशमुख, अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल जिनके नियंत्रण में जानकारी थी और वे कक्ष प्रभारी थे, उन्होंने दिनांक 11.05.2018 को आदेश पारित कर लोक सूचना अधिकारी को "अधिनियम" की धारा 4 के तहत प्रगटन योग्य एवं धारा 7 (1) के प्रावधान के विपरित जानकारी दिये जाने से इंकार किया है जबकि चाही गई जानकारी के प्रगटन में धारा 8 एवं 9 के प्रावधान की बाधा नहीं है फिर भी जानकारी प्रगट नहीं की। अपीलार्थी को दो वर्ष तक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई, उसके आवेदन पत्र दिनांक 14.04.2018 की जानकारी दिनांक 01.07.2020 को उपलब्ध कराई गई है। अतः श्री श्रीकांत देशमुख को प्रकरण की परिस्थितियों में 250 रूपये प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रूपये (पच्चीस

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित की जाती है । व्यक्तिगत रूप से अधिरोपित की जाती है। शास्ति की राशि आदेश प्राप्ति के एक माह में स्वयं आयोग कार्यालय में जमा करायें । नियत अवधि में राशि जमा नही कराने पर मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम 2005 के नियम 8 (6) के तहत अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

20. इस अपील में यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक होगा कि मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम भोपाल के प्रथम अपीलीय अधिकारी व्दारा भी अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील का निराकरण ''अधिनियम'' की धारा 19 (6) में प्रावधानित नियत समयावधि में नहीं किया गया अपितु आयोग से व्दितीय अपील के सुनवाई सूचना पत्र 11 मार्च 2020 एवं 11 जून 2020 को प्रेषित किये जाने के उपरांत अपील दिनांक से लगभग दो वर्ष बाद निराकरण कर आदेश पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी से अपेक्षित था कि वे निर्धारित समयावधि में प्रथम अपील का विधि अनुसारनिराकरण करते ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के पालन में ही अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी जाती तो अपीलार्थी को आयोग में व्दितीय अपील करने हेतु बाध्य नही होना पड़ता। इसी प्रकार की परिस्थितियां सामान्य रूप से बहुतायत प्रकरणों में देखने में आती है जहां प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा ''अधिनियम'' में नियत अधिकतम 45 दिन की अवधि में प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया जा रहा है या आदेश ही नहीं दिये जा रहे हैं और इस कारण से आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने वाली द्वितीय अपीलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और आयोग द्वारा जानकारी उपलब्ध कराये जाने के

आदेश दिये जाने पर निःशुल्क जानकारियां उपलब्ध करायी जानी होती है जिससे शासन पर अनावश्यक व्यय भार भी आता है और लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग में शासकीय व्यय परउपस्थित भी होते हैं। अतः राज्य शासन की ओर से प्रदेश के सभी लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा सकते हैं कि वे "अधिनियम" के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र और प्रथम अपील का निराकरण नियत समयावधि में करें/और इस हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किये जाने हेतु आदेश की प्रति प्रेषित की जावे।

21. यह देखने में आया है कि लोक सूचना अधिकारियों पर अधिरोपित शास्ति की वसूली के प्रकरण वर्षों से लम्बित है जिनमें कि लोक सूचना अधिकारियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका भी प्रस्तुत नहीं की है और कोई स्थगन भी नहीं है फिर भी शास्ति संबंधी आयोग का आदेश अंतिम होने के उपरांत भी राशि जमा नहीं की है। संबंधित विभागों ने सूचना के उपरांत भी वसूली हेतु उचित कार्यवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में म.प्र. ऊर्जा विकास निगम, भोपाल के लोक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी पर 25,000/–रू. अधिरोपित शास्ति की टीप प्रत्यर्थी की सेवा पुस्तिका में अंकित की जावे जिससे लोक सूचना अधिकारी से सेवा काल में वसूली नहीं होने पर अंतिम भुगतान के समय उनके देयकों से यह राशि वसूल की जाकर शासकीय कोषालय में जमा कराई जा सके और कालान्तर में उच्च

06/8/2020

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

सूचना भवन, 35-B, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

फोन 0755-2556874/2556878 Fax 0755-2556872 website: www.sic.mp.gov.in

न्यायालय से स्थगन प्राप्त किए जाने और आयोग का आदेश परिवर्तित हो जाने या शास्ति जमा करने संबंधी समस्त परिवर्तन भी अंकित किए जावे।

22. आदेश की प्रति संबंधित पक्षकारों के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उर्जा विभाग तथा, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश, उर्जा विकास निगम भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये ।

प्रमाणित प्रति

(ए. के. शुक्ला)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त